बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञाप संख्या–02/रेगु०–03–900–08/24–1764/ई०का०/पटना, दिनांक– 26 सितम्बर, 2025

आदेश

विषय : पेराई सत्र 2025–26 के लिए गन्ने के सट्टे एवं आपूर्ति की नीति

बिहार राज्य में लगभग तीन लाख ईखोत्पादक किसान कार्यरत चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति करते है। प्रत्येक चीनी मिल के लिए बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा–31 में अन्तर्निहित प्रावधान के अन्तर्गत आरक्षित क्षेत्र का गठन किया गया है। संबंधित मिलों के लिए गठित उक्त आरक्षित क्षेत्र से अपने चीनी मिल के लिए पेराई हेतु ईखापूर्ति प्राप्त किये जाने की व्यवस्था इस सट्टा नीति के माध्यम से विहित की जा रही हैं,

चीनी मिलों के लिए पेराई सत्र 2025–26 के लिए गन्ने के सट्टे एवं आपूर्ति की नीति बनाने का उद्देश्य निम्न हैं–

(i) चीनी मिलों के आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ईख के साम्यपूर्ण खपत एवं गन्ना कृषकों को विचौलियों के शोषण से बचाना तथा इस हेतु पर्चियों के वितरण की कैलेण्डरिंग की व्यवस्था को पारदर्शी एवं व्यवहारिक बनाना।

(ii) राज्य की चीनी मिलों की पेराई क्षमता के अनुसार गन्ना उत्पादन तथा गन्ने की उपलब्धता को व्यवस्थित बनाना जिससे चीनी मिलों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पेराई हेतु गन्ना उपलब्ध हो सके तथा चीनी मिलों में आपस में गन्ना प्राप्त करने की अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न न हो पाये एवं पोचिंग की समस्या उत्पन्न न हो।

(iii) वैज्ञानिक रूप से गन्ने की खेती को प्रोत्साहन मिलें। गन्ना कृषक अच्छे प्रभेद का गन्ना लगाने के लिए प्रेरित हो।

(iv) गन्ना कृषकों एवं चीनी मिल के बीच में किसी भी प्रकार के बिचौलियों के प्रवेश को रोकना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पेराई सत्र 2025–26 के लिए गन्ने की आपूर्ति नीति निम्न प्रकार से विहित किया जाता है :–

1. **चीनी मिलों के लिए अपेक्षित ईख की मात्रा** :– बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा–27 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ईखायुक्त, बिहार द्वारा प्रत्येक चीनी मिल के लिए अपेक्षित ईख की मात्रा का निर्धारण विभागीय पत्रांक–1010/ई०का० दिनांक–02.07.2025 के माध्यम से किया जा चुका है। चीनी मिलों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने आरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत उत्पादित गन्ने के **ड्रावल रेट को अधिक से अधिक बढ़ाये एवं न्यूनतम् 70 प्रतिशत** गन्ने का ड्रावल प्राप्त करें।

2. सामान्य/साधारण कोटा :– सामान्य कोटा के गणना की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी।

(i) विभागीय पत्रांक–516/ई॰का॰ दिनांक–04.04.2025 के माध्यम से घोषित गन्ना सर्वेक्षण नीति, 2025 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सर्वेक्षण के दौरान गन्ना कृषकों द्वारा विहित प्रपत्र में उपलब्ध करवाये गये गन्ना कृषित भूमि का व्यौरा संबंधित चीनी मिलों में संधारित किया जायेगा तथा समय–समय पर वर्षवार उसमें होने वाले परिवर्तन को अद्यतन किया जायेगा।

(ii) प्रत्येक चीनी मिल अपने आरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत उन्हीं किसानों से गन्ने आपूर्ति हेतु सट्टा करेगी जिनके पास राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि हो या जो उस भूमि में हिस्सेदार हों। गैर रैयत या बंटाईदार किसान जिन्होने किसी अन्य रैयत की भूमि पर गन्ने की खेती की हो, से इस आशय का स्व–घोषणा पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर उनके नाम से भी सट्टा किया जा सकता है। रेल, राजस्व, वन, सिंचाई एवं सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा यदि किसी किसान को पट्टे पर भूमि दी गई है तो इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर बोए गये गन्ने का सर्वेक्षण एवं सट्टा पट्टेदार के नाम से किया जायेगा।

(iii) मृतक सदस्यों के वारिस सदस्यों से उनकी तीन प्रतियों में पासपोर्ट साईज की फोटो एवं बैंक खाता नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं भूमि में हिस्सेदारी की जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं सम्पुष्टि के पश्चात् उसकी प्रविष्टि कर अनुरक्षित की जायेगी।

(iv) आरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत पुराने गन्ना कृषक जिन्होंने विगत दो वर्षो में गन्ने की आपूर्ति संबंधित चीनी मिल में नहीं किया हो परन्तु, चालू वर्ष के लिए गन्ने की खेती की है, तो उनके नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि के अन्तर्गत लगाये गये गन्ने के रकवे के लिए सट्टा किया जायेगा। गैर रैयत/बंटाईदार गन्ना कृषक होने की दशा में विहित प्रपत्र में प्राप्त स्व–घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम से सट्टा किया जा सकेगा।

3. सट्टा/सामान्य या साधारण कोटा के गणना की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी।

(i) **ईखापूर्ति हेतु कृषकों के सट्टा/सामान्य कोटा का निम्न प्रकार निर्धारण किया जायेगा :–**

पेराई सत्र 2025–26 के लिए विभागीय पत्रांक–516/ई०का० दिनांक–04.04.2025 के माध्यम से घोषित गन्ना सर्वेक्षण नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत GPS प्रणाली के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कराया गया है। गन्ना आपूर्तिकर्त्ता कृषक के विगत् तीन वर्षो (पेराई सत्र 2022–23, 2023--24 एवं 2024--25) के औसत गन्ना आपूर्ति को उस कृषक का पेराई 2025–26 के लिए सामान्य कोटा माना जायेगा। जिन कृषकों द्वारा विगत एक वर्ष ही गन्ना आपूर्ति किया गया है, उनके एक वर्ष की गन्ना आपूर्ति को ही सामान्य कोटा माना जायेगा। जिन कृषकों द्वारा विगत दोनों पेराई सत्रों में गन्ना आपूर्ति नहीं किया

गया है तथा वर्तमान पेराई सत्र में गन्ने की खेती की गई है उनका सट्टा विगत पेराई सत्र में संबंधित चीनी मिल को प्रति इकाई क्षेत्र (एकड़/हेक्टेयर) में आपूरित औसत गन्ने की मात्रा के आधार पर किया जायेगा।

(ii) किसी गन्ना कृषक के सामान्य कोटे का निर्धारण निम्नलिखित सूत्र के आधार पर किया जायेगा–

$$\textbf{सामान्य कोटा} = \frac{\text{कृषक द्वारा विगत तीन पेराई सत्रों में मिल को आपूरित कुल गन्ने की मात्रा (क्विंटल में)}}{\text{कृषक का विगत तीन सर्वेक्षण सत्रों में कुल सर्वेक्षित गन्ना का रकवा (एकड़/हेक्टेयर में)}} \times \text{कृषक का वर्तमान सर्वेक्षण सत्र में कुल गन्ना आच्छादित भूमि (ए०/हे०)}$$

यदि किसी गन्ना कृषक का सामान्य कोटा अत्यधिक (2000 क्विंटल) आकलित होता है तो इसकी सूचना संबंधित ईख पदाधिकारी को दी जायेगी, जो औचित्य सहित इसका सम्पुष्टि कर सकेगें।

(iii) यदि कुल सट्टा/घोषणा पत्र चीनी मिल की निर्धारित गन्ने की आवश्यकता से अधिक हो रहा है तो उसे अनुपातिक आधार पर घटाते हुए कुल सट्टा की मात्रा चीनी मिल की निर्धारित आवश्यकता की सीमा तक लायी जायेगी।

(iv) उपरोक्त सट्टा/कोटा की अधिकतम मात्रा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित आधार होंगे :–

(क) किसी कृषक की कुल भूमि सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत अनुमान्य भू–क्षेत्र से अधिक नहीं मानी जायेगी।

(ख) कृषक के वास्तविक कृषि योग्य भूमि की गणना करते समय उसकी आवासीय भूमि, बाग, तालाब आदि भू–क्षेत्रों को कुल भूमि क्षेत्रफल में से निकाल दिया जायेगा।

(ग) चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति हेतु किसी कृषक के गन्ना क्षेत्रफल के आगणन हेतु उसके द्वारा बोये गये गन्ने का शत–प्रतिशत क्षेत्रफल अंकित होगा। कृषक का कुल गन्ना क्षेत्रफल उसके द्वारा धारित कुल कृषि योग्य भूमि से अधिक नहीं होगा।

(घ) कृषकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जायेगा :–

(i) गन्ना उत्पादक कृषक कोटि–A – 1.5 एकड़ तक गन्ने की खेती करने वाले कृषक।

(ii) गन्ना उत्पादक कृषक कोटि–B – 1.5 एकड़ से 3 एकड़ तक गन्ने की खेती करने वाले कृषक।

(iii) गन्ना उत्पादक कृषक कोटि–C – 3 एकड़ से अधिक गन्ने की खेती करने वाले कृषक।

(च) कृषक कोटि–A एवं कृषक कोटि–B के कृषकों का अलग से विवरणी निकाला जाए तथा उन्हें प्रत्येक दिन कम से कम 20 प्रतिशत चालान निर्गत किया जोयगा।

(छ) विश्वविद्यालय, गन्ना शोध संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्र, चीनी मिल, केन्द्र एवं राज्य सरकार, जेल, पंजीकृत सहकारी संस्थान जिनके नाम से भूमि हो, के कृषि फार्म सट्टे के अधिकतम सीमा से मुक्त रहेंगे परन्तु उसके लिए ईखायुक्त, बिहार की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।

(ज) पूरे सीजन का कृषकवार सट्टे का प्रदर्शन, प्राधिकृत पदाधिकारी के प्रतिनिधि एवं मिल के ईख प्रबंधक के प्रतिनिधि द्वारा संबंधित ग्राम में सार्वजनिक स्थल पर 01 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2025 के बीच किये जायें। इसकी पूर्व सूचना एस०एम०एस० के माध्यम से किसानों को दिया जाय। व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जाय। किसानों से प्राप्त आपत्तियों को पंजी में सूचीवद्ध किया जाय तथा आपत्तियों पर जाँच कराने के उपरान्त प्राधिकृत पदाधिकारी एवं ईख प्रबंधक उन आपत्तियों पर संयुक्त निर्णय लेंगे।

4. विभागीय पत्रांक–516 / ई०का० दिनांक–04.04.2025 के माध्यम से कराये गये गन्ना का शुद्ध सर्वेक्षण एवं उस आधार पर आकलित सट्टा (आपूर्ति एवं एकरारनामा योग्य गन्ना) के आधार पर ईखापूर्ति हेतु कैलेण्डरिंग निर्माण करने के पूर्व चीनी मिलों द्वारा कम्प्यूटर के माध्यम से, अपने आरक्षित क्षेत्रान्तर्गत ईख आच्छादित ग्रामों का किसानवार भूमि के विवरण सहित ईख आच्छादन का विवरण जिसमें लगाये गये ईख का रकवा, प्रभेद का नाम, खूँटी या मोरहन, निर्धारित सामान्य कोटा के अनुरूप सट्टा / नियमावली के नियम–25 प्रपत्र–14 के अनुरूप एकरारनामा योग्य गन्ने की मात्रा, मोड ऑफ सप्लाई एवं आपूर्ति स्थल (मिल गेट / क्रय केन्द्र) का नाम भी अंकित रहेगी। तद्नुसार, कुल आपूर्तिकर्त्ताओं की संख्या को भी स्पष्ट की जायेगी एवं किसानों का मोबाईल नं० एवं बैंक खाता संख्या भी अंकित किया जायेगा। उपरोक्त आधार पर चीनी मिलों द्वारा अपने आरक्षित क्षेत्र में उपलब्ध प्रभेदवार (प्रभेदों के नाम के साथ) गन्ने के रकवा (Plant and Ratoon) का ग्रामवार विवरण से संबंधित प्रतिवेदन भी तैयार किया जायेगा। दोनों प्रतिवेदनों पर प्राधिकृत पदाधिकारी एवं चीनी मिल के ईख प्रबंधक हस्ताक्षर करेंगे तथा उसकी एक प्रति संबंधित ईख पदाधिकारी / विशेष ईख पदाधिकारी एवं दूसरी प्रति सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर एवं तृतीय प्रति ईखायुक्त, बिहार को उपलब्ध कराया जायेगा। क्रय केन्द्रों के आवंटन की माँग के निमित्त सभी चीनी मिलों द्वारा उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर केन्द्रवार गन्ने की उपलब्धता की जानकारी देते हुए गन्ने के आवंटन की माँग की जायेगी। प्रतिवेदन के साथ ग्रामों का टैगिंग उनमें उपलब्ध पेराई योग्य गन्ने की मात्रा सहित किसानों द्वारा दिये गये आपूर्ति स्थल की जानकारी के आलोक में यह भी स्पष्ट विवरण अंकित रहेगा कि संबंधित क्रय केन्द्र क्षेत्र से कितना गन्ना क्रय केन्द्र पर उपलब्ध रहेगा तथा कितना गन्ना मिल गेट पर जायेगा।

(i) चीनी मिल प्रबंधन द्वारा गन्ना आच्छादन से संबंधित किये गये सर्वेक्षण का पूर्ण विवरणी हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी सर्वेक्षण में शामिल संबंधित पदाधिकारी को 10 अक्टूबर, 2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) कृषकों के लिए (जिनके गन्ना के खेतों का GPS प्रणाली से सर्वेक्षण किया गया है) निर्धारित सट्टा के आधार पर ही कैलेण्डर बनाया जायेगा जिसमें ग्रामवार कृषक कोड नं० अंकित करते हुए निर्धारित एवं आवश्यक सभी सूचनाओं का शुद्ध रूप से सही–सही विवरण अंकित किया जायेगा।

(iii) तैयार किये गये कृषकवार कैलेण्डर मिल परिचालन के कम से कम 7 दिन पूर्व कृषकों में वितरित कर दिया जायेगा।

(iv) चीनी मिलों द्वारा पेराई प्रारंभ करने के साथ ही सर्वेक्षण के अनुसार शुरूआत में प्रीमियम प्रभेद के खूँटी एवं शरदकालीन रोप के मोरहन गन्ने (क्रमशः प्रीमियम, सामान्य एवं निम्न) का चालान निर्गत करते हुए ईख आपूर्ति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। 01 जनवरी या उसके पूर्व से प्रीमियम गन्ने की खूँटी एवं शरदकालीन रोप के गन्ने के अभाव में सामान्य एवं निम्न प्रभेद के खूँटी से भी आपूर्ति प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात 20 जनवरी से बसन्तकालीन रोप के मोरहन फसल से गन्ने की आपूर्ति सर्वप्रथम आपूर्ति क्रमानुसार प्रीमियम, सामान्य, तथा निम्न प्रभेद के गन्ने से प्राप्त की जायेगी। कोई भी चीनी मिल ट्रक के माध्यम से किसी भी गन्ना कृषक/बिचौलियों के द्वारा ईखापूर्ति प्राप्त नहीं करेंगे। मात्र पशुचालित गाड़ी या ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से गन्ने की आपूर्ति मिलों द्वारा प्राप्त की जायेगी तथा उसी आधार पर कैलेण्डरिंग तैयार की जायेगी।

(v) चीनी मिल में गन्ना आपूर्ति केवल पशुचालित गाड़ी (कार्ट), ट्रैक्टर कार्ट, तथा ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से किया जायेगा। इन माध्यमों से गन्ना आपूर्ति हेतु वजन की निर्धारित सीमा निम्नवत होगी :–

(क) पशुचालित कार्ट–20 क्विंटल तक।
(ख) ट्रैक्टर कार्ट– 40 क्विंटल तक।
(ग) ट्रैक्टर ट्राली– 60 क्विंटल तक।

इसी आधार पर कैलेण्डर का निर्माण किया जायेगा।

(vi) **कृषको की सुविधा हेतु किसी भी पर्ची/चालान पर निर्धारित वजन से 15 प्रतिशत तक अधिक गन्ना तौल किया जा सकेगा, परन्तु इस प्रकार निर्धारित वजन से अधिक तौले गये (Over Weight) गन्ने की कर्मीक मात्रा यदि किसान के मोड (आपूर्ति मोड) की पर्ची के बराबर हो जाती है तो इस अधिक मात्रा (Over Weight) को संबंधित कृषक के कैलेण्डर में लगे पर्ची से ऑनलाइन समायोजित कर दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि किसी कृषक के द्वारा निर्धारित वजन से कम गन्ने की आपूर्ति की जाती है तो भी कम तौले गये गन्ने की कुल कर्मीक मात्रा (Under Weight) यदि कृषक के बेसिक मोड (Basic Mode) की पर्ची के बराबर हो जाती है तब एक अतिरिक्त चालान उसके कुल सट्टे से उपलब्ध करायी जायेगी और यह व्यवस्था भी ऑनलाइन ही की जायेगी।**

(vii) अपेक्षाकृत छोटे किसानों के खूँटी गन्ने को प्राथमिकता के आधार पर चीनी मिल चलने के 45 दिनों के अन्दर तथा Plant Cane को 01 जनवरी से 45 दिनों के अन्दर क्रय करने की व्यवस्था की जायेगी। 5 टायरगाड़ी (100 क्विंटल) सट्टा वाले कृषक ही छोटे कृषक माने जायेंगे।

(viii) चीनी मिल द्वारा कम से कम तीन दिन पूर्व गन्ना आपूर्ति से संबंधित इण्डेन्ट तैयार कर लिया जायेगा तथा उसके अनुरूप गन्ना आपूर्तिकर्त्ता किसान को अधियाचना–पत्र की सूचना SMS के माध्यम से दी जायेगी। चीनी मिलों का यह दायित्व रहेगा कि किसानों को अधियाचना पर्ची प्राप्त हो जाये जिससे गन्ना कृषक उस माँग के अनुरूप गन्ने की कटाई कर न्यूनतम अवधि में मिल को अपने गन्ने की आपूर्ति कर सके। इससे चीनी मिल एवं किसान दोनों लाभन्वित होंगे तथा चीनी की अच्छी रिकवरी की प्राप्ति में सहयोग मिलेगा।

(ix) **कृषक अपना गन्ना मिल गेट अथवा क्रय केन्द्रों पर जहाँ से वह संबद्ध है, पर ही निर्धारित तिथि/समय में तौलवायेंगे। विशेष परिस्थितियों में यदि कृषक पर्ची पर अंकित तिथि में गन्ना नहीं तौलवा सका है, तो वह निर्धारित तिथि के 72 घण्टे अर्थात् तीन दिन में मिल के ईख प्रबंधक से तिथि परिवर्तित कराकर अपना गन्ना तौलवा सकता है, अथवा पर्ची पर गन्ना न तौलवाने की दशा में उपरोक्त अवधि में मिल के ईख प्रबंधक के कार्यालय में पर्ची जमा कर सकता है। ऐसी जमा की गई पर्चियों का निर्गमन पुनः कैलेण्डर से जारी करने की व्यवस्था स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप की जायेगी।**

(x) सम्पूर्ण ईख पेराई का कैलेण्डर अनिवार्य रूप से माह अक्टूबर, 2025 में तैयार कर लिये जायेंगे तथा कृषकों को कैलेण्डर की प्रति एवं परिचय–पत्र मिल परिचालन शुरू होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व अवश्य उपलब्ध करा दिये जायेंगे। कृषकों को कैलेण्डर निर्धारित समय सीमा के अन्दर उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित चीनी मिलों का होगा।

(xi) कैलेण्डर से संबंधित पूर्ण विवरणी का हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी सर्वेक्षण में शामिल संबंधित पदाधिकारी को 10 अक्टूबर, 2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(xii) चीनी मिल को आवंटित सभी क्रय केन्द्र पर गन्ने की समानुपातिक खरीद के सिद्धान्त का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। चीनी मिल द्वारा समानुपातिक आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए भी इन्डेन्ट तैयार किया जायेगा। तद्नुरूप ईख पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी द्वारा क्रय केन्द्रों पर ईख खरीद की दैनिक मात्रा निर्धारित की जायेगी। जिसका अनुपालन चीनी मिल द्वारा किया जायेगा। अवहेलना की स्थिति में संबंधित ईख पदाधिकारी द्वारा अभियोजन के प्रस्ताव के साथ ईखायुक्त, बिहार को जानकारी दी जायेगी।

(xiii) समानुपातिक खरीद सुनिश्चित करते हुए यह ध्यान रखा जायेगा कि सभी क्रय केन्द्रों का गन्ना लगभग एक साथ समाप्त हो। किसी क्रय केन्द्रों को तभी बन्द किया जायेगा जब कैलेण्डर में अंकित सभी कृषकों की पर्चियाँ जारी हो चुकी हो। चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र का समापन ईखायुक्त, बिहार की पूर्व अनुमति के उपरान्त ही किया जायेगा।

(xiv) प्राथमिकता के आधार पर पर्चियाँ केवल राजस्व विभाग/जिला पदाधिकारी द्वारा घोषित दैवीय आपदा के लिए कृषकों के सट्टे के भीतर दी जायेगी तथा ऐसे जारी पर्ची की सीरीज भिन्न होगी और इसी प्रकार गन्ना प्रतियोगिता तथा क्रॉप कटिंग के लिए भी प्राथमिकता के आधार पर पर्चियाँ कृषकों के सट्टे के भीतर दी जायेगी। ऐसी जारी की जाने वाली पर्चियों के लिए आदेश सहायक निदेशक, ईख विकास से परामर्श कर ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे। ऐसी पर्चियों का लेखा चीनी मिल के एक रजिस्टर में रखा जायेगा। ऐसी पर्चियाँ व्यापक जाँच–पड़ताल के बाद ही दी जायेगी। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, ओला, पाला एवं जले गन्ने आदि से प्रभावित गन्ने की प्राथमिकता के आधार पर पर्चियों का निर्गमन ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी की पूर्वानुमति के उपरान्त की जा सकेगी।

(xv) **सैनिको, भूतपूर्व सैनिकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रित सदस्यों की गन्ना आपूर्ति :–** सैनिको, भूतपूर्व सैनिकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनिानियों एवं उनके मृतक होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारी को अन्य सदस्यों के अपेक्षा गन्ना आपूर्ति में 01 जनवरी से 20 प्रतिशत की प्राथमिकता दी जायेगी। यह सुविधा कृषक के सट्टे की मात्रा में समायोजित की जायेगी। सैनिक अथवा भूतपूर्व सैनिक के नाम यदि जमीन नहीं है एवं उसके माता अथवा पिता के नाम सट्टा होता है तो उसके माता/पिता के सट्टे में भी यह सुविधा देय होगी। सैनिक होने का प्रमाण–पत्र सेना का सी०ओ० या सचिव, जिला सैनिक कल्याण परिषद का मान्य होगा।

(xvi) नई तकनीक को बढ़ावा देने हेतु गन्ने की कटाई हेतु चीनी मिले अपने सुरक्षित क्षेत्र में ऐसे ग्रामों/किसानों को एक मुश्त उनके सट्टे की सीमा तक गन्ना आपूर्ति हेतु सप्लाई टिकट जारी कर सकती है जिससे उनके पूरे प्लान्ट की एक साथ हार्वेस्टिंग सुगरकेन हार्वेस्टर द्वारा किया जा सके।

(xvii) उक्त हार्वेस्टेड सुगरकेन को प्राथमिकता के आधार पर मिल में तौल करने एवं उसे खाली करने की सुविधा दी जाएगी जिससे उसके वजन एवं रिकवरी में कमी नहीं आ सके।

(xviii) पेराई सत्र के मध्य यदि किसी गन्ना आपूर्तिकर्ता कृषक के द्वारा डबल सट्टा/दोहरा सट्टा, फर्जी अनियमित सट्टा प्रकाश में आता है तो ऐसे सट्टों का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा तथा संबंधित कृषकों के द्वारा की गई गन्ना आपूर्ति पर देय गन्ना मूल्य भुगतान को संबंधित ईख पदाधिकारी के संज्ञान में देते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया जाएगा।

5. (i) गन्ना आपूर्ति से संबंधित सॉफ्टवेयर का संबंधित ईख पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक समय–समय पर निरीक्षण/जाँच करना सुनिश्चिम करेंगे।

(ii) गन्ने के क्रय में उपयोग में लाये जाने वाले सभी तौलसेतु कम्प्यूटराइज्ड रहेंगे तथा कोई भी तौल सेतु 5 टन से कम नहीं रहेगी तथा गाड़ी खड़ी होनेवाली प्लेटफार्म भी छोटी नहीं होगी। ईख लदी गाड़ी को वजन करने के साथ ही आपूर्तिकर्त्ता किसान को ग्रॉस वजन का स्लीप अवश्य उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए जिससे ईख के तौल में पूर्ण रूप से पारदर्शिता बनी रहे।

(iii) ईखायुक्त, बिहार को पूर्व में सूचना/स्वीकृति के उपरान्त पेराई सत्र प्रारंभ होने के पूर्व गन्ना आपूर्ति, गन्ना तौल एवं गन्ना मूल्य भुगतान हेतु सॉफ्टवेयर में कोई भी बदलाव नहीं किया जायेगा। यदि पेराई सत्र के दौरान कैलेण्डर में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होती है तो इस हेतु ईख पदाधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक होगी। समय–समय पर ईख पदाधिकारी द्वारा इससे संबंधित प्रतिवेदन संयुक्त ईखायुक्त/ईखायुक्त, बिहार को प्रेषित किया जायेगा।

(iv) कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत कृषकों के लिए सुलभ स्थान पर एक अतिरिक्त टर्मिनल लगाकर पूछ–ताछ केन्द्र स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा। सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी व्यवस्था कर ली गई है।

(v) कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू की जायेगी तथा इसे आंशिक रूप से क्रियान्वित करने का विकल्प नहीं होगा। गन्ना सर्वेक्षण एवं गन्ना आपूर्ति से संबंधित ऑकड़ों से लेकर बैंक एडवाइज बनाने तक की सम्पूर्ण व्यवस्था कम्प्यूटर से की जायेगी।

(vi) चीनी मिल क्षेत्रों के लिए ऐसी प्रजातियों के गन्ने को जिन्हें चरणवद्ध तरीके से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया जा चुका है, परिपक्वता अवधि को ध्यान में रखते हुए विलम्ब से आपूर्ति करने की व्यवस्था की जायेगी।

(vii) अगर गन्ना उद्योग विभाग में ईख उत्पादन, आपूर्ति, मूल्य भुगतान आदि से संबंधित अद्यतन आँकड़े वास्तविक समय में संधारित करने हेतु सर्वर स्थापित होता है तो प्रत्येक चीनी मिल के सर्वर का डाटा प्रतिदिन गन्ना उद्योग विभाग के मुख्यालय स्तर पर संधारित सर्वर से Synchronise होगा, जिससे कि राज्य सरकार के स्तर पर भी प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उनके आरक्षित क्षेत्र के सर्वेक्षित ईख आच्छादन से गन्ने की आपूर्ति प्राप्त करने हेतु निर्गत किये गये अधियाचना–पत्र की जानकारी एवं उसकी किसानवार समीक्षा, क्रय किये गये गन्ने की मात्रा, रिकवरी एवं ईख मूल्य भुगतान इत्यादि की जानकारी प्राप्त हो सके।

(viii) **चीनी मिल द्वारा आवंटित होने वाले सभी पथ क्रय केन्द्रों का परिचालन संबंधित चीनी मिल के स्थायी/सीजनल कर्मियों द्वारा किया जायेगा। संबंधित कर्मी चीनी**

मिल के महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा निर्गत पहचान–पत्र हमेशा अपने पास रखना सुनिश्चित करें।

(ix) **चीनी मिलें क्रय केन्द्र के परिचालन के पूर्व क्रय केन्द्रों पर पदस्थापित किये जाने वाले अपने मिल कर्मियों की सूची नाम, मोबाईल नं० इत्यादि के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। चीनी मिल द्वारा ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि तौल लिपिकों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाक्षिक रूप से हो, जिसकी सूचना संबंधित ईख पदाधिकारी तथा विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित ईख पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये तथा इसका उल्लंघन करने वाले चीनी मिलों के विरूद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित करें।**

6. **गन्ने का पुनः सर्वेक्षण (री–सर्वे) :–** संबंधित ईख पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा के उपरान्त प्रत्येक चीनी मिल के लिए ईखायुक्त के द्वारा यथा आवश्यक गन्ने के री–सर्वे के आदेश दिया जा सकेगा।

7. **खूँटी, शरदकालीन एवं शीघ्र पकने वाली गन्ने की प्रजातियों की आपूर्ति :–**

(i) खूँटी तथा शरदकालीन बावग को उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 20 जनवरी तक अथवा उससे पूर्व की तिथि जब तक केवल खूँटी एवं शरद बावग के गन्ने से मिल में पेराई संभव हो, गन्ने की आपूर्ति की जायेगी। 20 जनवरी से अथवा उससे पूर्व जैसा कि खूँटी तथा शरद बावग की उपलब्धता हो बसन्तकालीन बावग से गन्ने की आपूर्ति प्रारंभ कर दी जायेगी। स्पष्टतः केवल खूँटी गन्ने तथा शरद बावग के गन्ने की आपूर्ति पर 20 जनवरी के बाद मिल को नहीं चलाया जायेगा तथा बसन्तकालीन मोरहन गन्ने की भी खरीद अवश्य की जायेगी।

(ii) जिन चीनी मिल क्षेत्रों में शीघ्र पकने वाली प्रजातियों का प्रतिशत अधिक है वहाँ चीनी मिलों की गन्ना पेराई 15 दिसम्बर से अथवा शीघ्र पकने वाले प्रजातियों की उपलब्धता कम होने की स्थिति में उससे पूर्व की तिथि से सामान्य प्रजातियों की खूँटी की आपूर्ति भी प्रारंभ कर दी जायेगी।

(iii) जहाँ शीघ्र पकने वाली प्रजातियों का गन्ना क्षेत्रफल अधिक है ऐसी मिलों में गन्ने की पेराई थोड़ा पहले आरंभ करने का प्रयास किया जाए। शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के गन्ने को प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति हेतु सट्टा केवल कुल सट्टे का समान्यतयाः उस सीमा तक ही किया जायेगा, जिस सीमा तक उसके क्षेत्र में शीघ्र पकने वाली प्रजातियों का प्रतिशत है।

(iv) शीघ्र पकने वाले प्रजातियों एवं शरदकालीन बावग के गन्ने की आपूर्ति में प्राथमिकता के कारण कृषकों को दी गई पर्चियों का समायोजन एक साथ करके अवशेष पर्चियों का निर्गमन बन्द नहीं किया जायेगा बल्कि उनकी पर्चियाँ अन्य कृषकों के साथ ही नियमित रूप से प्रदान की जायेगी।

(v) यदि जाँच के समय यह पाया गया कि कोई कृषक उत्तम प्रभेद के गन्ने के साथ सामान्य प्रभेद/निम्न प्रभेद के गन्ने का मिश्रण करके चीनी मिल को आपूर्ति करने का प्रयास करता है तो ऐसे कृषक को उत्तम प्रभेद वाले गन्ने की प्रभेद पर मिलने वाला अधिक मूल्य देय नहीं होगा तथा गन्ना मूल्य का भुगतान सामान्य प्रभेद/निम्न प्रभेद के दर से किया जोयगा। ऐसे कृषक जो यह कृत्य बार–बार करते हैं, के विरूद्ध संबंधित ईख पदाधिकारी/चीनी मिल के स्तर से वैधिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

8. गन्ना आपूर्ति एवं मूल्य भुगतान तथा संबंधित अभिलेखों का जाँच एवं निरीक्षण :–

(i) राज्य की कार्यरत सभी चीनी मिलों/राज्य से गन्ना क्रय करने वाले उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा गन्ना कृषकों को उनके ईख मूल्य का भुगतान बैंक RTGS/Electronic Transfer के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। बैंकों के माध्यम से गन्ना मूल्य भुगतान में यह ध्यान में रखा जाये कि जो कृषक जिस बैंक शाखा के निकट हो उसका खाता भी उसी बैंक की शाखा में खुलवाया जाय। जब तक ईख आपूर्ति करने वाले किसान का बैंक खाता संख्या (साक्ष्य सहित) प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक वैसे किसानों का गन्ना चीनी मिल द्वारा नहीं क्रय की जायेगी। किसी भी दशा में गन्ना कृषक को नगद भुगतान नहीं किया जायेगा। संबंधित ईख पदाधिकारी/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार पटना का यह दायित्व होगा कि वह इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चिम करायें तथा इसका उल्लंघन करने वाली चीनी मिलों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे।

(ii) ईख मूल्य भुगतान हेतु RTGS/ Electronic Transfer के माध्यम से प्रेषित बैंक एडवाईज की प्रतियों को संबंधित चीनी मिल द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा तथा इसकी जाँच समय–समय पर संबंधित ईख पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता परिलक्षित होने की दशा में संबंधित ईख पदाधिकारी तत्काल निराकरण सुनिश्चित करते हुए उच्च स्तर के पदाधिकारियों को सूचित करेंगे।

(iii) राज्य में बिहार गन्ना प्रबंधन सूचना प्रणाली (BMSIS) के माध्यम से गन्ना कृषकों को उनके अधियाचना पर्चियों के निर्गमन, गन्ने की आपूर्ति, उसके मूल्य भुगतान एवं ईख विकास से संबंधित कार्यक्रमों की सूचना एस०एम०एस के माध्यम से समय पर उनके मोबाईल पर पेराई सत्र 2025–26 में उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक उपाय किया जाए।

9. किसी भी परिस्थिति में कोई भी चीनी मिल अपने परम्परागत एवं अपरम्परागत आरक्षित क्षेत्र से अलग कहीं से भी कोई गन्ना क्रय नहीं करेगी। यदि परम्परागत एवं अपरम्परागत आरक्षित क्षेत्र के अलावे अन्य कहीं से भी गन्ने का क्रय करना हो तो कहाँ से गन्ना क्रय करना है, कितनी मात्रा में करना है, के औचित्य के साथ

ईखायुक्त के पूर्वानुमति आवश्यक होगी। यदि किसी चीनी मिल द्वारा बिना ईखायुक्त, बिहार के पूर्वानुमति के ऐसा कार्य किया जाता है या ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

10. सभी चीनी मिल प्रबंधन का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनके मिल गेट के तौल सेतु एवं पथ क्रय केन्द्र के तौल सेतु सही ढ़ंग से कार्य करें। यदि किसी भी पथ क्रय केन्द्र का तौल सेतु में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो तौल लिपिक एवं संबंधित क्षेत्र के सुपरवाइजर का यह दायित्व होगा कि वह तुरन्त मिल प्रबंधन एवं संबंधित क्षेत्र के ईख पदाधिकारी को इसकी सूचना SMS अथवा WhatsApp पर देंगे तथा तौल कार्य सुधार होने तक बंद रहेगा। जाँच के दौरान यदि पाया गया कि तौल सेतु में खराबी है और तौल किया जा रहा है तो तौल लिपिक एवं मिल प्रबंधन के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी। पेराई सत्र के दौरान घटतौली की किसी प्रकार की शिकायत सही पाये जाने पर मिल प्रबंधन को इसका दोषी माना जायेगा।

11. गन्ना आपूर्ति के संबंध में स्थानीय समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरणः

(i) गन्ना आपूर्ति के संबंध में यदि कोई विशेष तात्कालिक समस्या उत्पन्न हो तो संबंधित ईख पदाधिकारी/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर द्वारा तुरन्त नियमानुसार निराकरण करते हुए कृत कार्रवाई की सूचना संबंधित जिला पदाधिकारी एवं ईखायुक्त, बिहार को दी जायेगी।

(ii) गन्ना आपूर्ति के संबंधित प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण संबंधित ईख पदाधिकारी/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर द्वारा नियमानुसार किया जायेगा तथा कृत कार्रवाई की सूचना संबंधित जिला पदाधिकारी एवं ईखायुक्त को दी जायेगी।

12. केन कॉरडिनेशन कमिटी (गन्ना समन्वय समिति) :—

(i) प्रत्येक कार्यरत चीनी मिल क्षेत्र में एक गन्ना समन्वय समिति गठित होगी जिसके अध्यक्ष एवं संयोजक संबंधित ईख पदाधिकारी होंगे। सहायक निदेशक, ईख विकास एवं चीनी मिल के महाप्रबंधक (गन्ना) इस कमिटी के सदस्य होंगे। पेराई सत्र की अवधि में प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में इसकी बैठक संबंधित ईख पदाधिकारी द्वारा बुलाई जायेगी जिसमें भाग लेने हेतु मिल क्षेत्र के कम से कम 5 प्रगतिशील कृषकों को भी आमंत्रित किया जायेगा।

(ii) गन्ना समन्वय समिति के बैठक में गन्ने की उपलब्धता, आपूर्ति, पर्ची निर्गमन, क्रय केन्द्रों का संचालन, क्रय केन्द्रवार समानुपातिक गन्ना खरीद, गन्ना तौल में शुद्धता, गन्ना पेराई की प्रगति, ईख मूल्य भुगतान, विभाग द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन एवं अन्य आवश्यक सामयिक बिन्दुओं की समीक्षा की जायेगी तथा आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे।

13. नीतियों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का दायित्व :–

अपने–अपने कार्य क्षेत्र में ईख पदाधिकारी एवं सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर का यह दायित्व होगा की वे उक्त निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित मिल / संस्था / कर्मचारी के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करायें।

उपरोक्त आदेश बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 एवं बिहार ईख नियमावली, 1978 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किये जा रहा है।

लेखापित एवं शुद्धित

25/9/25

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

25/9/25

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–02 / रेगु०–03–900–08 / 24– 1764/ई०आ० / पटना, दिनांक– 26 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि– दखलकार / कार्यपालक अध्यक्ष / महाप्रबंधक / प्रबंधक, बिहार राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिलें / बिहार राज्य से गन्ना क्रय करने वाली उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें / सभी क्षेत्रीय / मुख्यालय के पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/25

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–02 / रेगु०–03–900–08 / 24–1764/ई०आ० / पटना, दिनांक– 26 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव / सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव / ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/25

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–02 / रेगु०–03–900–08 / 24–1764/ई०आ० / पटना, दिनांक–26 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि–आई॰ टी॰ मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

25/9/25

ईखायुक्त, बिहार।